

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) के रूप में श्रीम
 राजस्थान सरकार श्रीम
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) के रूप में श्रीम

आदेश

प्रार्थी के "खाता सुरक्षा" प्रार्थना पत्र पर आधारित श्रीम
 व भू.अ.नि. श्रीम की रिपोर्ट तथा तहसीलदार श्रीम
 /नायब तहसीलदार श्रीम की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम श्रीम तहसील श्रीम
 जिला श्रीम की जमाबन्दी सम्वत् 2025-28 में खाता संख्या 198, 196
 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

| क्र.सं. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है) |
|---------|-------------------------|-------------|---------------------------------------|---|
| 1. | श्रीगंजी डा. गाँव | 176 198 | श्रीमता पुत्र श्रीम | गोविन्द सिंह पुत्र केशर सिंह |

.....
 सहायक पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी, श्रीम
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 जिला-राजसमन्त
 पदेन सहा. कलक्टर

दिनांक :- 10/10/25

क्रमांक :- 25/237

- प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार श्रीम को भोजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र
 किया जाकर पासना रिपोर्ट भिजवाये।
 2. प्रार्थी श्री श्रीम गोविन्द सिंह S/O केशर सिंह को सूचनाई।
 3. रक्षित पत्रावली

.....
 सहायक पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी, श्रीम
 उपखण्ड अधिकारी एवं सहा. कलक्टर